न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 38/2020
दायर दिनांक :– 13.07.2020

अनवान

रामदेव पिता कालू मीणा नि. रेगर बस्ती तलोदा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. भंवरलाल पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
2. धनराज पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
3. मनराज पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
4. समिता पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
5. कैलाशी पुत्री सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
6. गंगा बेवा सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
7. रंगलाल पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
8. ब्रहमालाल पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
9. पाना पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
10. फूला पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
11. रामप्यारी बेवा अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
12. जगदीश पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
13. परसमा पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
14. सकरी पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
15. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 25.04.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 230/2, 244/1 कुल किता 02 रकबा 05.05 बीघा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं जो गलत दर्ज हो गई है। उक्त कृषि जमीन सम्वत 2067 से 2070 में वादी के खातेदारी में स्थित थी। तथा उक्त कृषि जमीन आराजी ख. सं. 230/2 रकबा 4.04 बीघा सम्वत 2038 सन् 1986 मे वादी को गैर खातेदारी में दर्ज हुई तथा आराजी सं. 244/1 रकबा 1.01 बीघा वादी ने लालू पिता कजोड मीणा नि. तलोदा से दिनांक 28.05.1990 को पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी तभी से ही वादी का कब्जा होकर काश्त करता आ रहा है। ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा की आ. न. 66, 75, 81, 87, 157/1, 181/2 कुल किता 6 रकबा 8.11 बीघा जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के खातेदारी में दर्ज हैं तथा उक्त कृषि जमीन पूर्व में रामदेव पिता कालू मीणा मजरा नवलपुरा राजस्व ग्राम तलोदा के खातेदारी की थी। रामदेव पिता कालू मीणा दिनांक 26.08.2011 को फोत हो गया था जिसका विरासत से खाता इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

नं. 517 दिनांक 05.08.2013 को खोला गया उक्त कृषि जमीन पर प्रतिवादी सं. 1 से 14 का कब्जा काश्त है। वादी राजस्व ग्राम तलोदा का मूल निवासी है। तथा प्रतिवादी सं. 1 से 14 का पूर्वज रामदेव पिता कालू मीणा मजरा नवलपुरा का रहने वाला था। तथा दोनो का राजस्व रेकार्ड राजस्व ग्राम तलोदा के पटवार हल्का के पास ही रहता है। प्रतिवादी सं. 1 से 14 के पिता, दादा, ससूर, पति यानि की पूर्वज रामदेव पिता कालू मीणा की मृत्यु दिनांक 26.08.2011 को हो गई जिसका विरासत का नामांतरकरण ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा इंतकाल नं. 517 दिनंक 05.08.2013 को फैसल किया गया था परन्तु मजरा नवलपुरा राजस्व ग्राम तलोदा की जमाबंदी राजस्व ग्राम तलोदा के नाम से ही संचालित होती है। तथा राजस्व ग्राम तलोदा में रामदेव पिता कालू मीणा के नाम दो व्यक्ति खातेदार थे परन्तु मृत्तक का मजरा नवलपुरा व वादी का ग्राम तलोदा था जिसकी जमाबंदी रजिस्टर ग्राम तलोदा पटवार हल्का के पास रहता है। इसलिये इंतकाल नं. 517 फैसल करते वक्त वादी जिवित रामदेव पिता कालू मीणा की कृषि आराजी सं. 230/2 व 244/1 में भी दाखिला लगा दिया गया जो विधि विरूद्व होकर गलत है। इसलिये मृत्तक रामदेव पिता कालू मीणा का विरासत का दाखिला के साथ जिवित वादी के जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में भी मृत्तक रामदेव पिता कालू मीणा के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 14 का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है इसलिये वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन में प्रतिवादी सं. 1 से 14 का नाम खातेदारी से हटाकर उनकी जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादी जीवित है के संबध में वादी का आधार कार्ड राशन कार्ड ग्राम पंचायत बरोदा के सरपंच द्वारा जारी जीवित प्रमाणपत्र संलगन है। तथा वादी के राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम लिखा हुआ है जो प्रतिवादीगण से भिन्न नाम हैं वादी को वादी के खाते की जमीन में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने की जानकारी 21.05.2020 को पटवार हल्का बरोदा से जमाबंदी की नकल लेने पर हुई तथा वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि में आपका नाम भूलवश एक ही नाम पता होने से गलत दाखिला लग गया इसलिये आप दाखिला हटाने में सहयोग करे तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने दाखिला नही लगवाया हैं अब हम सहयोग नही करेगें इसलिये वादी को उक्त कृत्य की जानकारी प्रथम बार दिनांक 21.05.2020 को होने से वाद हेतुक 21.5.2020 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वादपत्र में वर्णित आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 से 14 का नाम विलोपित कर इनकी जगह वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 6, 9, 10, 13, 14 बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी सं. 1 से 6, 9, 10, 13, 14 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 3, 8, 12 द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो जाने से राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया, राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया, जिसमें बताया कि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा में स्थित आ.न. 230/2, 244/1 कुल किता 02 रकबा 05.05 बीघा भूमि वादी रामदेव पिता कालू मीणा नि. तलोदा की ही कृषि भूमि है जो जीवित है। तथा मौके पर उक्त भूमि पर वादी ही काबिज है। इसलिये उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी के नाम पुनः खातेदारी में दर्ज किये जाने पर हम प्रतिवादीगण को किसी तरह की आपत्ति नही है। प्रतिवादी सं. 3, 7, 8, 11, 12 द्वारा इकबाले जवाबदावा पेश किया गया, जिसे शा. फा. किया गया, जिसमें बताया कि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा में

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

स्थित आ.न. 230/2, 244/1 कुल किता 02 रकबा 05.05 बीघा भूमि वादी रामदेव के नाम की खातेदारी भूमि भी राजस्व कर्मियों की गलती से प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी रामदेव मीणा के नाम पुनः दर्ज किये जाने पर हमे आंपत्ति नही है। उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी के नाम दर्ज की जावे।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में ग्राम तलोदा की खाता सं. 85 व 84 की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की प्रति प्रदर्श 1 व 2 है, ग्राम तलोदा की की जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 की प्रति प्रदर्श 3 है, नामा. सं. 517 की प्रति प्रदर्श 4 है, ग्राम तलोदा के खाता सं. 129, 130 जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 की प्रति प्रदर्श 5 है, वादी रामदेव द्वारा कय की गई भूमि का विकय पत्र, ग्राम पंचायत बरोदा का प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 है, प्रतिवादी के पिता रामदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी का आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति की है। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि वर्णित कृषि भूमि सम्वत 2067 से 2070 में वादी के खातेदारी में स्थित थी। तथा उक्त कृषि भुमि आ. न. 230/2 रकबा 4.04 बीघा सम्वत 2038 सन् 1986 मे वादी को गैर खातेदारी में दर्ज हुंई तथा आराजी सं. 244/1 रकबा 1.01 बीघा वादी ने लालू पिता कजोड मीणा नि. तलोदा से दिनांक 28.05.1990 को पंजीकृत विकय पत्र से खरीद की थी तभी से ही वादी का कब्जा होकर काश्त करता आ रहा है। वादी राजस्व ग्राम तलोदा का मूल निवासी है। तथा प्रतिवादीगण का पूर्वज रामदेव पिता कालू मीणा मजरा नवलपुरा का रहने वाला था। तथा दोनो का राजस्व रेकार्ड राजस्व ग्राम तलोदा के पटवार हल्का के पास होने से प्रतिवादीगण के पिता, दादा, ससूर, पति यानि की पूर्वज रामदेव पिता कालू मीणा की मृत्यु दिनांक 26.08.2011 को होने से विरासत का नामांतरकरण ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा इंतकाल नं. 517 दिनांक 05.08.2013 को फैसल किया गया था राजस्व ग्राम तलोदा में रामदेव पिता कालू मीणा के नाम दो व्यक्ति खातेदार थे परन्तु मृतक का मजरा नवलपुरा व वादी का ग्राम तलोदा था जिसकी जमाबंदी रजिस्टर ग्राम तलोदा पटवार हल्का के पास रहता है। इसलिये इंतकाल नं. 517 फैसल करते वक्त वादी जीवित रामदेव पिता कालू मीणा की कृषि आराजी सं. 230/2 व 244/1 में भी दाखिला लगा दिया गया इसलिये मृत्तक रामदेव पिता कालू मीणा का विरासत का दाखिला के साथ जीवित वादी के जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में भी मृत्तक रामदेव पिता कालू मीणा के वारिसान प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो जाने से राजीनामा एंव ईकबाले जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया। राजीनामा व ईकबाले जवाबदावा अनुसार उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी के नाम दर्ज कर दी जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

इसलिये वादी इन्द्राज दुरुस्ती कराने का हकदार है। उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सं. 230/2 रकबा 4.04 बीघा सम्वत 2038 सन् 1986 मे वादी को गैर खातेदारी में दर्ज हुई जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2039– 2041 प्रदर्श 03 से होती है। तथा आराजी सं. 244/1 रकबा 1.01 बीघा वादी ने लालू पिता कजोड मीणा नि. तलोदा से दिनांक 28.05.1990 को पंजीकृत विकय पत्र से खरीद की थी जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत विकय पत्र की प्रति से होती है। वादी रामदेव जीवित है जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत संरपच ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 से होती है। वादी रामदेव व प्रतिवादी के पूर्वज का नाम एक ही होने से वादी को भी मृतक मानकर वादी की भूमि का नामान्तरण जरिये नामा. 517 द्वारा प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 4 से होती है। प्रतिवादीगण द्वारा भी जरिये राजीनामा एवं ईकबाले जवाबदावा के द्वारा उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही बताई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त भूमि गलत ईन्द्राज होने से वादी के नाम किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 230/2, 244/1 कुल किता 02 रकबा 05.05 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

रामदेव पिता कालू मीणा नि. रेगर बस्ती तलोदा तह. जहाजपुर

वादी...........

बनाम

1. भंवरलाल पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
2. धनराज पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
3. मनराज पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
4. समिता पिता सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
5. कैलाशी पुत्री सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
6. गंगा बेवा सोहनलाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
7. रंगलाल पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
8. ब्रहमालाल पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
9. पाना पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
10. फूला पिता अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
11. रामप्यारी बेवा अम्बालाल मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
12. जगदीश पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
13. पसमा पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
14. सकरी पिता रामदेव मीणा नि. मजरा नवलपुरा तलोदा तह. जहाजपुर
15. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर.

प्रतिवादीगण...............

दावा बाबत – **88, 89 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :- 38 /2020

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 230/2, 244/1 कुल किता 02 रकबा 05.05 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner